पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय)
पुलिस से संबंधित हिन्दी की उत्कृष्ट पुस्तकों के लिए
पं0 गोविन्द वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो(गृह मंत्रालय), भारत सरकार न्यायालयिक विज्ञान,कारागार, पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस प्रशासन, पुलिस अन्वेषण,अंगुलिछाप, अपराध शाखा तथा पुलिस से संबंधित अन्य विषयों पर हिन्दी में उत्कृष्ट मूल पुस्तकें लिखने अथवा अनुवाद करने के लिए सृजनाशील लेखकों और अनुवादकों को उपर्युक्त योजना के द्वारा प्रोत्साहित करता है।

2. इस योजना के निम्नलिखित दो भाग हैं-

भाग-1 -पुलिस से संबंधित विषयों पर हिन्दी की प्रकाशित पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ।

(1) मूल प्रकाशित पुस्तकें - **30,000/-30,000/-** रूपये तक के **पांच** पुरस्कार । इन पांच पुरस्कारों में से 1 महिला लेखक के लिए आरक्षित है । बशर्ते उनकी रचानाएं उपलब्ध हों ।

(2) अनूदित हिन्दी प्रकाशित पुस्तकें - **14,000/-14,000/-** रूपये तक के दो पुरस्कार । (एक महिला लेखक के लिए आरक्षित है बशर्ते कि उनकी रचना प्राप्त हो)

भाग-2 - ब्यूरो पुलिस से संबंधित किसी विषय पर पुस्तक लिखवाने के लिए प्रति वर्ष **40,000/- रूपये** तक का एक पुरस्कार प्रदान करता है जिसके लिए लेखक को इस विषय पर क्या-क्या सामग्री शामिल करनी है का उल्लेख अपनी रूपरेखा के द्वारा करना होगा । इसके लिए इस वर्ष विषय है

"अपराध नियंत्रण में न्यायपालिका की भूमिका" ।

इसी भाग के अंतर्गत एक पुरस्कार 40,000/-रू. का(केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है)के लिए **" महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम हेतु पुलिस में परिवर्तन "** विषय पर रूपरेखा आमंत्रित की जा रही है -

(1) इस पुरस्कार योजना में भारत के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं ।

(2) योजना के प्रथम भाग में वे सभी पुस्तकें शामिल की जाएंगी जो **31.12.2012** तक प्रकाशित हुई हैं ।

3. भाग- 1 के लिए पांडुलिपियां भी प्रविष्टि के रूप में भेजी जा सकती हैं परन्तु यदि विचार करने के बाद इन्हें पुरस्कार के लिए अनुमोदित किया गया तो पुरस्कार राशि केवल पांडुलिपि के प्रकाशन के बाद ही दी जाएगी । प्रकाशन करवाने की व्यवस्था स्वयं लेखक/अनुवादक को करनी होगी । भाग-2 के अन्तर्गत निर्धारित विषय पर लिखित व पुरस्कृत पुस्तक के प्रकाशन का निर्णय मूल्यांकन समिति स्वयं करेगी ।

4. पुस्तकों/पांडुलिपियों की तीन-तीन प्रतियाँ निर्धारित प्रपत्र के साथ इस ब्यूरो को भेजी जाएंगी । ये पुस्तकें / पांडुलिपियाँ वापिस नहीं की जाती हैं

5. पुस्तकें लगभग 100 पृष्ठों की अवश्य होनी चाहिए *

6. योजना के भाग -2 के लिए आवश्यक है कि लेखक उपर्युक्त विषय पर विस्तृत रूपरेखा और अपने बायोडाटा की तीन-तीन प्रति भेजें ।

7. इस योजना में वे पुस्तकें शामिल नहीं की जाएंगी जिन पर पहले ही भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा अन्य किसी सरकारी एजेंसी द्वारा कोई पुरस्कार प्रदान किया जा चुका हो अथवा इसके लिए कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई हो ।

8. योजना के अंतर्गत प्राप्त पुस्तकें /रूपरेखाओं का मूल्यांकन एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है जिसका निर्णय अंतिम और बाध्य होगा । यदि समिति निर्णय लेती है कि कोई पुस्तक अपेक्षित स्तर की नहीं है तो उसे अधिकार है कि वह कोई भी पुरस्कार घोषित न करे अथवा पुस्तक के स्तर को ध्यान में रखते हुए पुरस्कार की राशि कम कर दे ।

9. किसी भी लेखक को, जिसने इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त किया है, वह आगामी तीन वर्ष के लिए पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगा ।

10. भेजने की अंतिम तारीख -
उपर्युक्त संदर्भ में पुस्तक अथवा पांडुलिपि अथवा रूपरेखाएं ब्यूरो के कार्यालय में **30.9.2013** तक अवश्य पहुंच जानी चाहिए ।

11. कृपया विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें -

संपादक हिन्दी,
पुलिस अनुसंधानएवं विकास ब्यूरो,
ब्लाक -11,3/4 तल,लोदी रोड,
सी.जी.ओ काम्प्लेक्स,नई दिल्ली -110003.
फोन - 011- 24360371 /115
011- 24389615

(यह विज्ञापन वर्ष 2013-14 के लिए है । सम्बंधित जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट www.bprd.nic.in पर भी देख सकते हैं ।)